न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 122/2017 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00077

उनवान

1. श्री नाथु पिता लालु उर्फ लालजी डांगी उम्र बालिग निवासी रन्देला तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सलूम्बर जिला– सलूम्बर।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 26/03/2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलुम्बर – विपक्षी

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रन्देला पटवार हल्का बरोडा तहसील सलूम्बर में कृषि भूमि है जो मुझ प्रार्थी को दिनांक 21–12–1978 को खसरा नम्बर 516 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा लगानी 3.50 रूपये के रूप में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर द्वारा आवंटन हुई थी उक्त भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व खाते में दर्ज होकर मुझ प्रार्थी के आधिपत्य की हैं जिसके बाद उक्त भूमि मेरे राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर संवत् 2037 से 2040 की जमाबंदी में अंकित थी जिसके वर्तमान में आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में दर्ज है।

प्रार्थी नाथु पिता लालु उर्फ लालजी होकर सवंत् 2037 से 2040 की राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होकर मौके पर आज दिनांक तक प्रार्थी कृषि कार्य चला आ रहा है एवं प्रार्थी द्वारा भारी लागत व मेहनत से उक्त भूमि को उपजाउ कृषि भूमि बनाया है एवं वर्ष की दोनो फसले प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ली जाती रही है। पैमाईश के समय प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को राजस्व विपक्षी सं. 1 के द्वारा उक्त कृषि भूमि पर से प्रार्थी का नाम घायब होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई जो सेवन मात्र से हुई है जबकि प्रार्थी का कब्जा आवंटन के समय से आज दिनांक तक निर्बाध रूप से होकर प्रार्थी व उसके परिवारजन कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहतक इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में पूर्व में साबिक आराजी नम्बर 516 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर जो कि बिलानाम गैर काबिल काश्त हो गई जिसमें से प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर में से 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि पुनः राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अमलदरामद व इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी के खाते दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर रहे जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि भू–राजस्व विभाग के बन्दोबस्त संवत् 2047 के अनुसार आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर किस्म मगरी बन्दोबस्त मिलान क्षैत्रफल अनुसार मौजा रन्देला के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

साबिक आराजी नम्बर 517 मी, 511मी, 516 मी, 514मी से मिलकर हाल आराजी नम्बर 1016 बना है। वर्तमान में मौजा प्रेमनगर के 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि पर वर्तमान में भेरा, वालाजी पिमा लालू मीणा के पक्के मकान निर्माण कार्य कर लगभग 0.42 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। शेष भूमि 2.86 हैक्टेयर कृषि भूमि मौके पर पडत है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में पूर्व में साबिक आराजी नम्बर 516 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर जो कि बिलानाम गैर काबिल काश्त हो गई जिसमें से प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर में से 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि पुनः राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे अमलदरामद व इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी के खाते दर्ज कराने का आदेश फरमावें। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर की बहस अपने जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। प्रार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 19–12–78 द्वारा मौजा रन्देला मे आराजी नम्बर 516 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा भूमि आंवटित हो इ.नं. 600 से राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई जिसका अंकन राजस्व जमाबंदी 2037 से 2040 की विशिष्टियों में भी है, तथा आराजी नम्बर 516 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा किस्म ह.तृतीय नाथु पिता लाल डांगी सा.गैर खातेदार दर्ज अंकित है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 517 मी, 511 मी, 513 मी, 514 मी, 516 मी से मिलकर हाल आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर बनना प्रतीत होता है। भू–राजस्व विभाग के बन्दोबस्त जमाबंदी संवत् 2047 मे आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर किस्म मगरी 0.28 हैक्टेयर, रास्ता 3.00 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज अंकित है। जिसे बाद की जमाबंदी मे दोहराया गया है तथा हाल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.2800 हैक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज अंकित है। भू–प्रबंधन के बाद बनी जमाबंदी मे पूर्व की जमाबंदी अनुसार प्रविष्ठीयो को दोहराया जाना था, पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के उपरान्त हाल राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूण अंकन होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा रन्देला पटवार हल्का बरोडा भू.अ.नि. बरोडा के साबिक आराजी नम्बर 516 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि से बने हाल आराजी नम्बर 1016 रकबा 3.28 हैक्टेयर बिलानाम भूमि में से 7 बिघा 1 बिस्वा (अर्थात 1.52 हैक्टेयर) भूमि कम करते साबिक राजस्व रेकार्ड अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे इन्द्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय दिनांक 26–03–2025 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला– सलूम्बर